संख्या–वे0आ0–2–1114/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विकलांग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2011

**विषयः**– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) विकलांग कल्याण विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा विकलांग कल्याण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) जिला विकलॉग कल्याण अधिकारी के पोषक पदों में से वैयक्तिक सहायक, कार्यालय अधीक्षक तथा अन्वेषक के पदों को हटा दिया जाय। भविष्य में जिला विकलॉग कल्याण अधिकारी के पदों के 70 प्रतिशत पदों पर पूर्व निर्धारित अर्हता के साथ आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा 30 प्रतिशत पदों को (22 प्रतिशत पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले अधीक्षक के पदों से तथा 08 प्रतिशत पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले मनौवैज्ञानिक/व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी के पदों से) अधीक्षक एवं मनौवैज्ञानिक/व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(3) जिला विकलॉग कल्याण अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 7500–12000 के सादृश्य पुनरीक्षत वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(4) विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत विद्यमान शैक्षिक पदों पर शिक्षा विभाग के शैक्षिक पदों के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का

निर्णय लिया जा चुका है। अतः इन पदों के सम्बन्ध में अलग से संस्तुति किये जाने की आवयक्ता नहीं है।

(5) विभाग में मुख्यालय स्तर पर विद्यमान उप निदेशक के 02 पदों को उच्चीकृत कर संयुक्त निदेशक करते हुए रु0 12000–16500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाये। संयुक्त निदेशक के उक्त पदों को 03 वर्ष की सेवा वाले उप निदेशक पदों के धारकों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(6) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अजय अग्रवाल )
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–114 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

( नरेन्द्र कुमार )
संयुक्त सचिव।